

उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग

संख्या- 119 / 60-1-10-1/13(71)/06

लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2011

:: कार्यालय ज्ञाप ::

किशोर न्याय (बालका की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम- 2000 (2006 के संशोधन अधिनियम-33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षणात्मक परिवेश, पालन-पोषण करने, परिवार की देखरेख पान, प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा, दुर्व्यवहार से बचने और संरक्षण पाने के उद्देश्य से "समेकित बाल संरक्षण योजना" (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य सहमति पत्र (MEMORANDEUM OF UNDERSTANDING) पर दिनांक 24-11-2010 को हस्ताक्षरित हो जाने के उपरान्त महिला एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या- 4931/60-1-10-1/13(71)/06 दिनांक 03-12-2010 के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू हो चुकी है।

समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदेश में राज्य स्तर पर "राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति" (STATE CHILD PROTECTION SOCIETY) का गठन किया जाना है। राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण किया जाना है। राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति की प्रबन्धकारिणी समिति के प्राधिकृत सदस्यों में निम्नलिखित विभागों के पदाधिकारियों को नामित किया जाता है-

क्र.सं.	नामित अधिकारी	नामित पद नाम
1	प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
3	विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, वित्त विभाग	सदस्य
4	विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, नियोजन विभाग	सदस्य
5	विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
6	विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
7	निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुनर्वास विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
9	मुख्य परिवर्तिका अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य

इसी प्रकार राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति की कार्यकारिणी में निम्नलिखित विभागों के पदाधिकारियों को नामित किया जाता है-

क्र.सं.	नामित अधिकारी	नामित पद नाम
1	प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

1	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, मातृत्व एवं बाल संरक्षण विभाग	सदस्य
2	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
5	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
6	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, वित्त विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
7	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
8	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, गृह विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
9	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, श्रम विभाग (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
10	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, बेसिक शिक्षा (विशेष सचिव स्तर के अधिकारी)	सदस्य
11	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12	निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13	निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
14	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16	मुख्य परिबीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य

अतः सभी समस्त नामित अधिकारी/प्राधिकारी सन्निहित बाल संरक्षण योजना के सम्बन्ध में जारी किए गए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा गठित की जाने वाली राज्य बाल संरक्षण संस्था/समिति में अपनी भारीवारी सुनिश्चित करें।

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या-119 (1) / 60-1-10-1 / 13(71) / 06, तददिनांक।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित का सूचनाएं एवं आवश्यक कागजात हट्टु प्रेषित-

1. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
2. सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाईल हेतु।


(अतुल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव